



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1072]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2015/वैशाख 30, 1937

No. 1072]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2015/VAISAKHA 30, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2015

**का.आ. 1356(अ).**—सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत ऑक्यूपेंट्स को हटाना) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित को नियुक्त करती है, कांडला पत्तन न्यास के अधिकारी कथित अधिनियम के उद्देश्य के लिए सम्पदा अधिकारी भी होने के नाते और कथित अधिकारी कथित तालिका के कॉलम (3) में तद्विषयक प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में उनके संबंधित अधिकारी क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर कथित अधिनियम द्वारा अथवा अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का तथा "सम्पदा अधिकारी" पर प्रभावी कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

तालिका

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधिकार क्षेत्र की सीमाएं	कार्यकाल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री योगेश कुमार सिंह, कार्मिक अधिकारी, कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम	कांडला भूमि मामले	पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक सेवा में बने रहते हैं, जो भी पहले हो।

2. कथित नियुक्ति सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी।

[सं. ए-12011/1/2013-पीई-II]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING**

(PORTS WING)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th May, 2015

**S.O. 1356(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in Column (2) of the Table below, being the officer of the Kandla Port Trust, to be also the Estate Officer for the purpose of the said Act, and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the “Estate Officer” by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said table:

**TABLE**

<b>S. No.</b>	<b>Name &amp; Designation of Officer</b>	<b>Limits of Jurisdiction</b>	<b>Tenure</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Shri Yogesh Kumar Singh, Personnel Officer, KPT, Gandhidham	Kandla land matters	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier

2. The said appointment shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[No. A-12011/1/2013-PE. II]

BARUN MITRA, Jt. Secy.